राजस्व पर्षद
BOARD OF REVENUE, GOVT. OF BIHAR

बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय पटना–800015

Website- boardofrevenue.bihar.gov.in

विज्ञापन सूचना

राजस्व पर्षद, बिहार पटना के अधीन निम्नांकित पदों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अलग–अलग आवेदन सभी वांछित कागजातों के साथ दिनांक 09.05.2025 के शाम 5:00 बजे तक राजस्व पर्षद के ई–मेलः secretary.boardofrevenuebihar@gmail.com के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिएः–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	कोटि
1	राजस्व विशेषज्ञ (Revenue Expert)	01	UR

नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एंव मानदंडों की सूचना का अवलोकन राजस्व पर्षद के वेबसाईट **boardofrevenue.bihar.gov.in** पर किया जा सकता है।

20/4/25

सचिव

राजस्व पर्षद

राजस्व पर्षद
BOARD OF REVENUE, GOVT. OF BIHAR

बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय पटना–800015

Website- boardofrevenue.bihar.gov.in.

विज्ञापन सूचना

राजस्व पर्षद, बिहार पटना के अधीन निम्नाकित पदों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अलग–अलग आवेदन सभी वांछित कागजातों के साथ **दिनांक** 09.05.2025 **के शाम 5:00 बजे** तक राजस्व पार्षद के ई–मेल : secretary.boardofrevenuebihar@gmail.com के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए:–

क्र0 सं0	पदनाम	रिक्ति की संख्या	अर्हता / योग्यता एवं अनुभव
1		01	1. भा0प्र0से0 / वि0प्र0से0 के सेवानिवृत पदाधिकारी जो विशेष सचिव से अन्यून नहीं होंगे। 2. वांछित योग्यता / अर्हता– i. अपर समाहर्ता / भूमि सुधार उप समाहर्ता / जिला भूअर्जन पदाधिकारी / अंचल अधिकारी जैसे पदों का कार्य अनुभव होना। ii. राजस्व संबंधी अधिनियम यथा बिहार कास्तकारी अधिनियम, बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961, बिहार भूमि दाखिल खारिज नियम आदि महत्वपूर्ण राजस्व संबंधित अधिनियम / वादों के संदर्भ का कार्य अनुभव हो और कंडिका 2 के उपकंडिका i में अंकित पदों पर कम से कम 05 वर्षों का अनुभव हो। 3. प्रतिमाह परिलब्धि– अंतिम वेतनमान + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि का अंतर

प्रपत्र–क

BOARD OF REVENUE. GOVT. OF BIHAR

(Application form for the post of Revenue Expert)

Recent Photograph

1. Applied Post :
2. Name of the Candidate :
3. Father's/Husband Name :
4. Date of Birth :
5. Gender :
6. Identification Marks :
7. Present Department :
8. Date of Retirement : ....
9. Retirement from the Deptt. : ....
10. Retirement from the post : ....
11. Pay Scale at the time of retirement : ....
12. Correspondence Address :
    (with mobile & email id)
13. Permanent Address :
14. Experience Details :

From	To	Organization Name	Designation	Duration (in Month)	Duties/Role

राजस्व पर्षद

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये आधिकारिक दिशा–निर्देश :

1. ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये आधिकारिक वेबसाइट https://boardofrevenue.bihar.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है।
2. आवेदन केवल राजस्व पर्षद के ई–मेल :– secretary.boardofrevenuebihar@gmail.com के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09.05.2025 शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। इस तिथि और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. आवेदन केवल विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जाएंगे। विहित प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य फॉरमेंट में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं/घोषणाओं के लिए समय–समय पर वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।
6. इस भर्ती/नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत/तय की गयी आरक्षण नीति लागू होगी।
7. उम्र सीमा– सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा। संविदा पर नियोजन हेतु आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जायेगी।
8. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के शॉर्टलिस्ट उपरांत चयन/नियोजन प्रक्रिया का अधिकार राजस्व पर्षद के पास सुरक्षित होगी।
9. नियोजन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन में गलत सूचना दी गयी है, ऐसी स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा– कार्यानुभव प्रमाण पत्र (प्रभार रिपोर्ट) एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस) की मूल एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति करते हुए काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी।
11. सभी वर्णित पद संविदा आधारित पद है। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। संविदा के अधार पर चयनित इन अधिकारियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीकरण/सेवा विस्तार अधिकारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाईम/फुल टाईम किसी अन्य कार्यालय/संस्थान में काय नहीं करेंगे।

13. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

14. राजस्व पर्षद को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट :

केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी है।

राजस्व पर्षद के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

***